संख्या-201/2018/62/22-2-2018-17(06)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 27 फरवरी, 2018**

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-सीतापुर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्यालय कारागार के पत्र संख्या-45933/प्रोबेशन-3(एम-21.12.2017) दिनांक 29.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल पुत्र श्री सीताराम, जो रमुवापुर, थाना-रेउसा, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने राम कुमार (मृतक) से कुछ समय पूर्व हुए झगड़े की रंजिश में दिनांक-15-11-2002 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-179/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-06,सीतापुर के आदेश दिनांक 26.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.11.2017 तक 14 वर्ष 11 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध होने के कारण सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मोहनलाल (बन्दी संख्या-39716) पुत्र श्री सीताराम, निवासी जनपद-सीतापुर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-201/2018/62(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-सीतापुर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-201/2018/62@22-2-2018-17(06)/2018
दिनांक 27 फरवरी, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मोहनलाल पुत्र श्री सीताराम, जो रमुवापुर, थाना-रेउसा, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी ने राम कुमार (मृतक) से कुछ समय पूर्व हुए झगड़े की रंजिश में दिनांक-15-11-2002 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राम कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-179/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0-06,सीतापुर के आदेश दिनांक 26.08.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 31.01.2013 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 03.11.2017 तक 14 वर्ष 11 माह 12 दिन की अपरिहार सजा तथा 19 वर्ष 04 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण संतोषजनक है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट एवं प्रोबेशन बोर्ड द्वारा रिहाई के सम्बन्ध में की गयी संस्तुति तथा सिद्धदोष बन्दी द्वारा जघन्य अपराध कारित किये जाने एवं 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध होने के कारण सक्षम स्तर पर सम्यक विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई का औचित्य नहीं पाया गया है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई **अस्वीकार** किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।